

भारत सरकार तथा घाना गणराज्य की सरकार के बीच
विमान सेवाओं के संबंध में करार

भारत सरकार तथा घाना गणराज्य की सरकार, जिन्हें आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को हावरा में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय (जिसे आगे "अभिसमय" कहा गया है) की हस्ताक्षरकर्ता हैं, अपने अपने भू-भागों के बीच और उनसे परे विमान सेवाएं परिचालित करने के प्रयोजन के लिए एक करार करने की इच्छा से, नीचे लिखी बातों पर सहमत हुई हैं ;

अनुच्छेद 1

जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अमोघ न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन के लिए :

- (क) "वैमानिक प्राधिकारी" शब्दों का अर्थ भारत के संबंध में नागर विमानन का महानिदेशक तथा कोई ऐसा व्यक्ति या निष्पक्ष भी होगा जिसे उन कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जिन्हें इस समय उक्त महानिदेशक द्वारा किया जाता है, और घाना गणराज्य के संबंध में नागर विमानन विषयक मामलों के लिये उत्तरदायी आयुक्त तथा कोई ऐसा व्यक्ति या निष्पक्ष भी होगा जिसे उन कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जिन्हें इस समय उक्त आयुक्त द्वारा किया जाता है ;
- (ख) "अभिसमय" शब्द का अर्थ उस अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है जो हावरा में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षरों के लिये प्रस्तुत किया गया था और इसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अन्तर्गत अंगीकार किया गया कोई भी अनुबंध अथवा उसके अनुच्छेद 90 और 94 के अन्तर्गत अनुबंधों अथवा अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन, जहां तक कि ये अनुबंध तथा संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा अंगीकार किये जा चुके हैं, सम्मिलित हैं ;

- (ग) 'नामित विमान कम्पनी' पद से आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों ने प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को लिखित सूचना देकर नामित किया है ;
- (घ) 'भू-भाग', 'विमान सेवारं', 'अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा', तथा 'यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रुकना' पदों से आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में उनके लिए निश्चित किया गया है।

अनुच्छेद 2

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करार के अनुबन्ध में निर्दिष्ट मार्गों पर विमान सेवारं (जिन्हें आगे 'सम्मत सेवारं' और 'निर्दिष्ट मार्ग' कहा गया है) स्थापित करने के लिए इस करार में निर्दिष्ट अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के उपबन्धों का अनुपालन हो जाने के बाद किसी भी समय सम्मत सेवाओं का उद्घाटन किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत करार के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :

- (क) बगैर उतरे हुए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से हो कर उड़ान करना ;
- (ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रुकना ;
- (ग) निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का परिचालन करते समय दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उन स्थानों पर जो प्रस्तुत करार के अनुबन्ध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट कर दिये गये हों यात्रियों, माल और डाक के ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को उतारने या चढ़ाने के प्रयोजन से रुकना जिसका उद्गम अथवा गन्तव्य स्थान पहले संविदाकारी पक्ष का अथवा किसी इतर देश का भू-भाग हो।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के किसी अंश का अर्थ किसी एक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी को यह अधिकार दिया जाना नहीं समझा जायेगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के

भू-भाग में यात्रियों, माल या डाक के ऐसे यातायात को भी चढ़ा सकेगा जिसका गन्तव्य दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ही कोई अन्य स्थान हो।

4. एक संविदाकारी पक्ष के वे नियम, विनियम और अनुदेश जो अन्तरराष्ट्रीय विमान-चालन में रत वायुयानों अथवा विमान-सेवाओं के उसके भू-भाग में प्रवेश करने, अथवा वहाँ से प्रस्थान करने पर, अथवा उसके भू-भाग में होने के दौरान उन वायुयानों अथवा विमान सेवाओं के परिचालन पर लागू होते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष को नामित विमान कम्पनी के वायुयानों और सम्मत विमान सेवाओं पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 3

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मार्ग अनुसूचि के अनुसार सम्मत सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप से एक विमान कम्पनी नामित करे।

2. नामन की सूचना मिलने पर दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने वैमानिक प्राधिकारियों के द्वारा इस अनुच्छेद के पैरा 3 और 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नामित विमान कम्पनी को अविलम्ब उपयुक्त परिचालन अधिकार दे देगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी से इस बात का आश्वासन मांग सकते हैं कि वह उनके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विमान सेवाओं पर सामान्य रूप से लागू किये जाने वाले कानूनों और विनियमों के अधीन निहित शर्तों का पालन करने के लिए सक्षम है।

4. यदि कोई संविदाकारी पक्ष इस बात से सन्तुष्ट न हो कि नामित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण कभी हद तक दूसरे संविदाकारी पक्ष अथवा उसके राष्ट्रों में निहित है तो उसके यह अधिकार होगा कि वह ऐसा हवाई कम्पनी के नामन को स्वीकार करने से इन्कार कर दे या प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 2 में निर्दिष्ट उन अधिकारों को मंजूरों को रोक या प्रतिसंहृत कर दे अथवा उन अधिकारों के प्रयोग के संबंध में विमान कम्पनी पर ऐसी शर्तें लगाए जिन्हें वह आवश्यक समझे।

5. इस प्रकार नामित और प्राधिकृत की गई विमान कम्पनी सम्मत सेवाओं का परिचालन किसी भी समय आरम्भ कर सकती है बशर्ते कि अनुच्छेद 11 और 13 के उपबन्धों का पालन किया जा चुका हो।

कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने संसद्गण में दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी के विमान द्वारा हवाई अड्डों तथा दूसरी विमान सुविधाओं के उपयोग के लिए उन प्रणालियों से अधिक प्रसार न होगा जो उची प्रचार को अनुरोधित विमान सेवाओं में नहीं उसको अपना राष्ट्रीय विमान कम्पनी के विमान द्वारा चलाए जाते हैं।

अनुच्छेद 6

दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी किये गये अंशवा वेंचक उद्घन-योजना प्रमाणपत्र, संवर्धन-प्रमाणपत्र और आदेश, निजी वेंचन नहीं हुई है, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा इसके अंतर्गत में विनिर्दिष्ट विमान-भागों पर परियोजना के विवेक माने जायेंगे। तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को अपने क्षेत्र के अन्तर् से उक्त विमान-भागों पर परियोजना के विवेक अपने क्षेत्रों के संवर्धन प्रमाणपत्रों और आदेशों को वेंचन को मानने से इनकार करने का अधिकार होगा, जिन्हें ये प्रमाणपत्र तथा आदेश दूसरे विवेक माने जायेंगे। तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को अपने क्षेत्र के अन्तर् से उक्त विमान-संविदाकारी पक्ष द्वारा इसके अंतर्गत में विनिर्दिष्ट विमान-भागों पर परियोजना के संवर्धन प्रमाणपत्र, संवर्धन-प्रमाणपत्र और आदेश, निजी वेंचन नहीं हुई है, दूसरे दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी किये गये अंशवा वेंचक उद्घन-

अनुच्छेद 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने पास यह अधिकार प्राप्त रखता है कि यदि दूसरे पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी ने पहले पक्ष के आर्गुनों और विनियमों का पालन न किया तो अंशवा वेंचन में उन शर्तों का पालन नहीं किया गया हो तब भी ऐसा ही किया जायेगा। जब तक कि विनियमों, करार के अनुसार अधिकार दिए गए हैं तो वह परियोजना अधिकार को प्रतिबन्धित कर सकेगा या उस पर कोई उचित शर्तें लगा सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। यदि अनुच्छेद 3 के पैरा 4 के उपबन्धों का पालन न किया गया हो तब भी ऐसा ही किया जायेगा। जब तक कि विनियमों, विनियमों अंशवा वेंचन करार के उपबन्धों के अन्तर्गत और आगे अतिरिक्त को रोकने की दृष्टि से शर्तों का पालन निश्चयन या नगण्यता को आवश्यक न समझा जाए तब तक इस प्रकार की कार्यवाही प्रत्येक करार के अनुच्छेद 16 के अनुसार संविदाकारी पक्षों के बीच परस्पर समाप्त भावित कर के ही की जायेगी।

अनुच्छेद 4

की अनुमति से ही उभार जा सकेगा। ऐसे मामलों में, उन्हें उनका पुनर्निर्धारण किए जाने तक उपरकर एवं सामग्री और बाजार की दूसरे संबंधित पक्ष के मू-भाग के सीमा-शुल्क अधिकाधिक

3. दोनों में से किसी भी संबंधित पक्ष के विमान पर रहे गए नियमित उड़ानगत अधिकाधिक की निगरानी अथवा नियंत्रण में रहे जाने को कहा जा सकता है।

उपर्युक्त उप-बैर (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सामग्री को सीमा-शुल्क के मू-भाग के ऊपर से लिया जायेगा जहाँ से कि से विमान पर लिए गये। प्रयोग उड़ान के उस भाग पर ही किया जाना ही जो उस संबंधित पक्ष पर परिवर्तित वायुयान को लिए जाने वाले क्षेत्र में गये सिद्ध, यदि इनके दूसरे संबंधित पक्ष को नाभिन विमान कम्पनी द्वारा अनारिस्टोय सेवाओं

(ग) लिए हैं ;

अनारिस्टोय सेवाओं पर नियमित विमान के संचालन अथवा परभन के फलन पूर्व, जो दूसरे संबंधित पक्ष को नाभिन विमान कम्पनी द्वारा दोनों में से किसी भी संबंधित पक्ष के मू-भाग में प्रविष्ट किए गए

(ख) सेवा पर नियमित वायुयान पर प्रयोग किया जाना है ;

जहाँ गई विमान सामग्री, जिसका कि दूसरे संबंधित पक्ष के अनारिस्टोय के अधिकाधिक द्वारा निरिवन की गयी सामग्री के अनारिस्टोय विमान पर से दोनों में से किसी भी संबंधित पक्ष के मू-भाग में उस संबंधित पक्ष

करों से मुक्त होगी :

2. निम्नलिखित बस्तुएं भी, की गयी सेवा के अनुसार प्रभारों के सिवाय उक्त शर्तों में गये

किए जाने तक विमान पर ही रहें।

नया अन्य प्रभारों अथवा करों से मुक्त होगी, जहाँ कि ऐसे उपरकर नया सामग्री पुनर्निर्धारण सम्बन्धित होगी) दूसरे संबंधित पक्ष के मू-भाग में प्रविष्ट होने पर सीमा-शुल्क, निरीक्षण फीस

व नोटबों के बाजार नया विमान सामग्री (जिसमें बाध्य सामग्री, वेच परवर्धन नया नक्का सेवाओं पर परिवर्तित वायुयान एवं ऐसे वायुयानों में रहे हुए उनके नियमित उपरकर, इंधन

1. दोनों में से किसी भी संबंधित पक्ष को नाभिन विमान कम्पनी द्वारा अनारिस्टोय

अनुच्छेद 7

1. वहन क्षमता, फेरों को संख्या और विमान सेवा का स्वरूप, अर्थात् वह दूर पर विद्यमान संविदाकारी पक्ष के अनुमान से गुजरने वाली है अथवा नहीं समझने में सक्षम है इत्यादि बातों का निरवयव नापित विमान कम्पनियों द्वारा अनुच्छेद 8 तथा 9 में निर्दिष्ट विवेचनाओं और इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार के निरवयव पर दोनों संविदाकारी पक्षों के वैधानिक प्राधिकारियों का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. यदि किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा नापित विमान कम्पनी अपनी वहन क्षमता या फेरों को संख्या में वृद्धि करना चाहे तो उसका निरवयव पहले नापित विमान कम्पनियों आपस में कर लेगी और इस पर वैधानिक प्राधिकारियों का अनुमोदन आवश्यक होगा। वैधानिक प्राधिकारी इसका अनुमोदन सम्पन्न रूप से सम्मान और निश्चयन प्राप्त करने की अनुमति आवश्यकताओं के आधार पर करेगी। जब तक इस प्रकार का समझौता या करार न हो जाए तब तक पहले से ही लागू वहन क्षमता और फेरों को संख्या के आधार पर प्रभावित रहेगी।
3. यदि किसी ऐसे विषय पर संविदाकारी पक्षों की नापित विमान कम्पनियों सहमत न हो पाएँ कि इस पर इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अन्तर्गत उनकी सहमति आवश्यक हो, तो संविदाकारी पक्षों के वैधानिक प्राधिकारी उस विषय में सहमत होने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 10

पर कोई अतिरिक्त प्रभाव न पड़े।
 ताकि दूर पर पक्ष उद्योग के समस्त अथवा आंशिक भाग पर जो सेवाएं सुनिश्चित करती हैं उन सेवाओं के परिचालन में दूर पर पक्ष की नापित विमान कम्पनी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नापित विमान कम्पनी को सम्मान विमान

अनुच्छेद 9

सम्मान अधिकार प्राप्त होंगे।
 क्षेत्र और उससे परे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के परिचालन के लिए सब प्रकार के उचित और प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नापित विमान कम्पनी को दोनों पक्षों के अनुमानों के

अनुच्छेद 8

अथवा सीमा-भूरेक विनियमों के अनुसार उनका अत्युत्तम नियंत्रण किए जाने तक उन प्राधिकारियों को ही निगरानी में रखा जाएगा।

4. वहन क्षमता, फेरों की संख्या और विमान सेवा का स्वरूप अर्थात् वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से गुजरने वाली है अथवा वहां समाप्त होने वाली है इत्यादि जिन बातों पर परस्पर निश्चय इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा उनका निर्देश संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच होने वाले पत्र-विनिमय में किया जाएगा।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित विमान कम्पनी से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को विमान सेवा के प्रकार, उपयोग किये जाने वाले वायुयान के प्रकार, उड़ानों की अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों और सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित अन्य सभी संगत सूचनाओं को, जिनमें ऐसी सभी सूचनाएं शामिल होंगी जो वैमानिक प्राधिकारियों को इस बात की तसल्ली कराने के लिए आवश्यक हों कि प्रस्तुत करार को शर्तों का आवश्यक पालन हो रहा है, सम्मत सेवाओं के शुरु होने से पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भिजवायेगा। सम्मत सेवाओं से संबंधित किसी भी परिवर्तन पर इस अनुच्छेद को शर्तें इसी प्रकार लागू होंगी।

अनुच्छेद 12

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को अपनी विमान सेवाओं द्वारा प्रत्येक मास में दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग को या भू-भाग से या भू-भाग से हो कर ले जाए गए यातायात संबंधी आंकड़े भेजेगा जिनमें खाना होने और पहुंचने के देशों तथा ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थानों से संबंधित आंकड़े रहेंगे। ऐसे आंकड़े मांग किए जाने पर शीघ्रातिशीघ्र भेज दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 13

1. उत्तरवर्ती पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए 'टैरिफ' शब्द का आशय यात्रियों तथा सामान के वहन के लिए देय मूल्यों तथा उन शर्तों से है जिनके अन्तर्गत वे मूल्य लागू होते हैं जिनमें अभिकरण तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिए देय मूल्य तथा शर्तें सम्मिलित हैं परन्तु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक तथा शर्तें सम्मिलित नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी पक्ष को विमान कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग तक अथवा वहां से वहन के लिए चार्ज किए जाने वाले टैरिफ उचित स्तर पर निश्चित किए जाएंगे

और इसके लिए परिवर्तन के व्यय, उचित भाग देना अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफों सहित

सभी सम्बन्ध नदियों का यथावित्त ध्यान रखा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में निर्दिष्ट टैरिफों पर, यदि संभव हो, पूरे मार्ग पर अथवा उसके एक भाग पर परिवर्तन करने वाली अन्य विमान कम्पनियों के साथ परामर्श करके दोनों संविदाकारी पक्षों को नामित विमान कम्पनियों द्वारा एक समझौता किया जाएगा, और ऐसा समझौता, जहां कहीं संभव हो, टैरिफों का पूरा भागने हेतु अनारिथित विमान परिवहन संगठन को प्रोत्साहित और प्रयोग करके किया जाएगा।

4. इस प्रकार से समान टैरिफों को जिस तारीख से लागू करना हो उससे कम से कम नवें (90) दिन पहले उन्हें दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि वैमानिक प्राधिकारी सहमत हों तो यह अवधि विशेष मामलों में बढ़ाई भी जा सकती है।

5. देशी सहमति प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि किसी भी वैमानिक प्राधिकारी ने, इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार, टैरिफों के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस (30) दिन के अन्दर-अन्दर अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की, तो इन टैरिफों को स्वीकृत हुआ समझ लिया जाएगा। यदि टैरिफ प्रस्तुत किये जाने की अवधि को बढ़ाया जाना है, जैसे कि पैरा 4 में ब्यक्त है, तो वैमानिक प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि, जिसके कि अन्दर-अन्दर अपनी अस्वीकृति की सूचना अवश्य दे दी जानी चाहिए, तीस (30) दिन से कम होगी।

6. यदि कोई टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार तय न हो सके, अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 5 के अनुसार लागू होने वाली अवधि के दौरान यदि एक वैमानिक प्राधिकारी दूसरे वैमानिक प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैरा 3 के उपबन्धों के अनुसार सहमत टैरिफ के बारे में अपनी अस्वीकृति की सूचना दे देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा टैरिफ निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे।

7. यदि वैमानिक प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अधीन अपने सम्बन्ध रखे गए किसी टैरिफ का अनुमोदन करने में अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 6 के अधीन कोई टैरिफ निश्चित करने में सहमत न हो सके तो विवाद का समाधान करार के अनुच्छेद 17 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार निश्चित किया गया टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई नया टैरिफ निश्चित नहीं कर लिया जाना। तथापि, किसी टैरिफ को इस पैरे

1. यदि प्ररुतन करार के अर्ध-निर्वाचन अन्तर्गत नए गे किये जाने के संबंध में कोई भी विवाद

अनुच्छेद 17

और जब पक्षों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी प्रतिष्ठित कर दी जाए।
यदि संशोधन नहीं प्रस्तावित होता तो यह कि आवश्यक संमान संबंधितिक कार्रवाई प्रती हो जाए।
अंतरा कर दिया जाएगा। इस प्रकार के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप प्ररुतन करार में किया
किया जा सकता है। इस प्रकार के विचार-विमर्श अनुरोध की जाये से साठ दिन के भीतर
करार के अर्ध-निर्वाचन या उसे लागू करने से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श का अनुरोध
यह समझें कि अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत विचार-विमर्श में संकलन नहीं मिली तो वर्तमान
उद्देश्य से विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है। यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी यह
दोनों में से कोई भी संविदाकारी यह वर्तमान करार में कोई संशोधन करवाने के

अनुच्छेद 16

सुनिश्चित करने की प्रतिष्ठित से सम्मसम्प पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे।
प्ररुतन करार नए संशोधन अनुबंधों के प्रयत्न एवं संशोधन अनुबंधों के
प्रकार में निरंतर संशोधन की जाये से, संविदाकारी पक्षों के वैधानिक प्राधिकारी

अनुच्छेद 15

हो, जो वह विशेष करार हो लागू होगा।
सकता। जब भी संविदाकारी पक्षों के बीच सुमानपूर्ण प्रणाली किसी विशेष करार द्वारा स्थापित
द्वारा अर्थात् राशि में से खर्च के बाद बची राशि को सरकारी विनिम्न दर पर रूपांतरित कर
रहने हुए जायें, इस नए मान के वजन के संबंध में अपने सु-भाग में उस विमान कम्पनी
अधिकार देगा कि वह प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के सु-भाग में प्रयत्न विनियमों के अंतर्गत
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की जापित विमान कम्पनी को यह

अनुच्छेद 14

जिस नारीय को उसे अत्यन्त सम्मान हो जाना चाहिये।
के बाद पर उस नारीय के बाद आरंभ (12) महीने से अधिक तक जारी नहीं रहा जा सकता।

हो तो पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर वार्ता द्वारा उसका फैसला करने का प्रयत्न करेंगे, जिसके असफल होने पर विवाद को फैसले के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के सुपुर्द किया जाएगा।

2. यदि संविदाकारी पक्ष कोई समझौता करने में असफल रहते हैं तो विवाद को दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर इसमें दी गयी प्रक्रियाओं के अनुसार विवाचन के लिए सौंपा जायेगा।

3. यह विवाचन तीन विवाचकों के न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसका गठन निम्न प्रकार किया जाएगा :-

(क) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को विवाचन का अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख से साठ (60) दिन के अंदर अंदर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा एक-एक विवाचक नामजुद किया जाएगा। इस प्रकार की साठ (60) दिन की अवधि के पश्चात् साठ (60) दिन के अन्दर-अन्दर, इस प्रकार नामजुद किए गए दोनों विवाचक आपसी सहमति से एक तीसरा विवाचक नामजुद करेंगे जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं होगा।

(ख) यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष एक विवाचक नामजुद करने में असफल रहता है, अथवा यदि पैराग्राफ (क) के अनुसार तीसरे विवाचक के बारे में सहमति नहीं होती, तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह अपेक्षित विवाचक अथवा विवाचकों को नामजुद करे।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष विवाचन अधिकरण के निर्णय अथवा पंचाट को लागू करने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हर संभव प्रयत्न करेगा।

5. विवाचन अधिकरण के खर्चों को, जिनमें विवाचकों की फीस व खर्चे सम्मिलित हैं, संविदाकारी पक्षों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

अभिसमय के उपबन्ध, जहां तक कि वे प्रस्तुत करार के अन्तर्गत स्थापित की गईं

कोई भी संविधानकारी पक्ष दूसरे संविधानकारी पक्ष को किसी भी समय यह लिखित नोटिस दे सकता है कि वह वर्तमान कंठार को समाप्त करना चाहता है। इस प्रकार का नोटिस सादा ही सादा अनारक्षित नगर विधानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि इस प्रकार का नोटिस दिया जाए तो कंठार को समाप्त करने का नोटिस तब जारी किया जायेगा। यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही परस्पर सहमति से नोटिस बापस जायेगा, तो यह कंठार समाप्त नहीं होगा। यदि दूसरे संविधानकारी पक्ष से प्राप्त नोटिस न मिले, तो अनारक्षित नगर विधानन संगठन को यह नोटिस मिलने के चौदह दिनों बाद यह पक्ष को भी मिल गया मान लिया जाएगा।

अनुच्छेद 20

3. वर्तमान कंठार अनुसमर्थन पक्षों के आशय-प्रदान को नोटिस से पूर्व ही होगा।
2. वर्तमान कंठार का अनुसमर्थन अधिन ही होगा तथा अनुसमर्थन पक्षों का आशय-प्रदान परामर्श किया जाएगा।
1. प्रस्तुत कंठार का अनुसमर्थन कंठार का ही अंग माना जाएगा और सिवाय उस स्थिति के जिसमें अनुसमर्थन कंठार: उपस्थित कर दिया गया हो कंठार के संबंध में जो भी उल्लेख किया जायेगा उनमें अनुसमर्थन का उल्लेख भी सम्मिलित होगा।

अनुच्छेद 19

विधान संशोधन के बारे में जागृ होते हैं, अपने वर्तमान रूप में संविधानकारी पक्षों के बीच कंठार को अवधि में कंठार के अंग में तब तक जागृ रहेंगे जब तक कि कंठार को अवधि में आशय-प्रदान के लिखित नोटिस में आशय-प्रदान अपने संशोधन रूप में प्रस्तुत जागृ कर दिया गया हो और तब से ही स्थिति में आशय-प्रदान अपने संशोधन रूप में प्रस्तुत कंठार को अवधि में जागृ रहेगा।

कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइंस
लुधियाना

कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइंस
लुधियाना

वर्षा 1978 के अंतर्गत 16 के अंतर्गत कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइंस लुधियाना में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची निम्न प्रकार है।
कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइंस लुधियाना में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची निम्न प्रकार है।

अनुच्छेद 21

अनुबंध

भा. अ. वि. वि.

पृष्ठ 1

भा. अ. वि. वि. की संरक्षित संस्थाओं में विभाजन करने के लिए उचित है

विभाजन में संसद में विभाजन के लिए उचित है

विभाजन में संसद में विभाजन के लिए उचित है

अधिकार होगा।

1. संसद के विभाजन

2. संसद में विभाजन

3. संसद के विभाजन

4. संसद के विभाजन

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि. के लिए उचित है

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि. के लिए उचित है

भा. अ. वि. वि. के लिए उचित है

भा. अ. वि. वि. के लिए उचित है

भा. अ. वि. वि. के लिए उचित है

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भा. अ. वि. वि.

भारत सरकार द्वारा नामित विमान कंपनी को इस छंद में विनिर्दिष्ट भागों पर दोनों विभागों में विमान सेवाएं परिवर्तित करने तथा भारत के भूभाग में इस छंद में विनिर्दिष्ट स्थानों पर यात्राओं के लिये उतरे का अधिकार होगा।

| | |
|---|-----------------|
| 1 | प्रधान के स्थान |
| 2 | मध्यवर्ती स्थान |
| 3 | भारत के स्थान |
| 4 | अन्य के स्थान |

भा. 1 अवन अधिकतम अक्षय अक्षय न्य. किसे जाये।
 भा. 11 अक्षय अक्षय अक्षय अक्षय न्य. किसे जाये।

भारत अक्षय अक्षय अक्षय अक्षय न्य. किसे जाये।
 भारत अक्षय अक्षय अक्षय अक्षय न्य. किसे जाये।

नोट 1 : दोनों में से किसी भाग पर अनुमत 2 में विनिर्दिष्ट स्थानों पर किसी भी क्रम में परिवर्तित किया जा सकता, तथा, यदि अधिकतम दो नौ उक्तें दूसरे भाग पर अनुमत 4 में विनिर्दिष्ट परवर्ती स्थानों के साथ में प्रयुक्त किया जा सकता।

नोट 2 : अक्षय और नागौर के बीच किसी प्रकार के यात्राओं अधिकारी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA
RELATING TO AIR SERVICES

The Government of India and the Government of the Republic of Ghana hereinafter described as the "Contracting Parties",

BEING parties to the Convention on International Civil Aviation (hereinafter referred to as the Convention) opened for signature at Chicago on the 7th December, 1944,

AND DESIRING to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

HAVE AGREED as follows :-

ARTICLE I

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires :-

- a) the term "aeronautical authorities" shall mean, in the case of India, the Director General of Civil Aviation and any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Director General of Civil Aviation or similar functions, and in the case of the Republic of Ghana the Commissioner responsible for Civil Aviation matters and any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Commissioner or similar functions;

- b) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as these annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;
- c) the term "designated airline" shall mean an airline which the aeronautical authorities of one Contracting Party have designated in writing to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, in accordance with Article III of the present Agreement;
- d) the terms "territory", "air services", "international air service" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the Convention.

ARTICLE II

1. Each Contracting Party grants to the other Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex thereto (hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes"). The agreed services

may be inaugurated at any time after the provisions of Article III have been complied with.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights :-

- a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
- b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
- c) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the point specified for that route in the Annex to the present Agreement, for the purpose of putting down or taking on international traffic in passengers, cargo and mail, originating in or destined for the territory of the first Contracting Party or of a third country.

3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

4. The laws, regulations and instructions of one Contracting Party, relating to entry into or departure from its territory, of aircraft or air

services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

ARTICLE III

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services in accordance with the Route Schedule.
2. On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities and subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorisation.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by them to international commercial air services.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of the airline or to withhold the grant to the airline of the rights specified in paragraph 2 of Article II of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the other Contracting Party or its nationals.
5. The airline so designated and authorised may begin to operate the

agreed services at any time provided that the provisions of Articles XI and XIII have been complied with.

ARTICLE IV.

Each Contracting Party reserves the right to itself to revoke the operating authorisation or impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case of failure by a designated airline of the other party to comply with the laws and regulations of the former Party, or in case, in the judgement of the former party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with the present Agreement. This shall also apply if the provisions of paragraph 4 of Article III are not complied with. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties in accordance with Article XVI of the present Agreement unless an immediate suspension of operations or imposition of conditions is necessary to avoid further infringements of laws, regulations or provisions of the present Agreement.

ARTICLE V

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated by either Contracting Party and which have not expired, shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the air-routes specified in the Annex hereto. Either Contracting Party shall, however, reserve the right to refuse to recognise as valid for the purpose of operating the said air-routes over its own territory, certificates of competency and licences issued to its own nationals by the other Contracting Party.

ARTICLE VI

The charges imposed in the territory of one Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those paid by the aircraft of a national airline engaged in similar international air services.

ARTICLE VII

1. Aircraft operated on international services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

2. There shall also be exempt from the same duties and taxes, with the exception of charges corresponding to the service performed:

- a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board aircraft engaged in an international service of the other Contracting Party;
- b) spare parts entered into the territory of either

Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international services by the designated airline of the other Contracting Party;

- c) fuel and lubricants destined to be supplied to aircraft operated on international services by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board. Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (c) above may be required to be kept under customs supervision or control.

3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of such territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities upto such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

ARTICLE VIII

The designated airline of each Contracting Party shall, in all respects, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between and beyond the territories of the two parties.

ARTICLE IX

In the operation by the designated airline of either Contracting Party of the agreed air services, the interests of the designated airline of the other Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same route.

ARTICLE X

1. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service that is transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed between designated airlines in accordance with the principles laid down in Articles VIII and IX and the provisions of this Article. Such agreement shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

2. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be agreed, in the first instance, between the designated airlines and shall be subject to the approval of the aeronautical authorities on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two Parties and any other traffic to be jointly agreed and determined. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

3. If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on any matter on which their agreement is required under the provisions of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to reach agreement thereon.

4. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service that is transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed to in accordance with the provisions of this Article shall be specified in an exchange of letters between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE XI

Each Contracting Party shall cause its designated airline to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of the present Agreement are being duly observed. The requirements of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

ARTICLE XII

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on their air services to or from or through the territory of the other Contracting Party showing the countries of origin and destination and the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as early as possible.

ARTICLE XIII

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which these prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned for both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, those tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for

submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3), the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XVII of the present Agreement.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it otherwise would have expired.

ARTICLE XIV

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of transfer at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by the airline in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo, subject to

prevailing regulations in the territory of each Contracting Party. Whenever the payments system between the Contracting Parties is governed by a special Agreement the special Agreement shall apply.

ARTICLE XV

In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of and satisfactory compliance with the provisions of the present Agreement and the schedules annexed thereto.

ARTICLE XVI

Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of initiating any amendments to the present Agreement. Consultations may also be required on matters concerning the interpretation and application of the present Agreement if either Contracting Party considers that consultations within the meaning of Article XV have been without success. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request. Any modification of the present Agreement as a result of such consultations shall come into effect after the respective constitutional requirements have been fulfilled and when it has been confirmed by an exchange of notes.

ARTICLE XVII

1. If any dispute arises relating to the interpretation or application of the present Agreement, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves,

failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for settlement.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement, the dispute shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to arbitration in accordance with the procedures set forth herein.

3. Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators constituted as follows :

a) One arbitrator shall be named by each Contracting Party within sixty (60) days of the date of delivery by either Contracting Party to the other of a request for arbitration. Within sixty (60) days after such period of sixty (60) days, the two arbitrators so designated shall by agreement designate a third arbitrator, who shall not be a national of either Contracting Party.

b) If either Contracting Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not agreed upon in accordance with paragraph (a), either Contracting Party may request the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation to designate the necessary arbitrator or arbitrators.

4. Each Contracting Party shall use its best efforts consistent with its national law to put into effect any decision or award of the arbitral tribunal.

5. The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbitrators, shall be shared equally by the Contracting Parties.

ARTICLE XVIII

To the extent to which they are applicable to the air services established under the present agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of the present Agreement.

ARTICLE XIX

1. The Annex attached to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex, except where otherwise expressly provided.
2. The present Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
3. The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

ARTICLE XX


Either Contracting Party may at any time, give written notice to the other, of its desire to terminate the present Agreement. Such notice

shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.


ARTICLE XXI

The present Agreement and any exchange of notes in accordance with Article XVI shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

DONE at New Delhi this *twenty fifth* day of *January, 1978*
in four originals, two each in the English and Hindi languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



For the Government of
India.



For the Government of
the Republic of Ghana.

A N N E X

ROUTE SCHEDULE

SECTION I

The airline designated by the Government of the Republic of Ghana shall be entitled to operate air services in both directions on the routes specified in this section and to land for traffic purposes in the territory of India at the points specified therein.

| <u>Points of Departure</u> 1 | <u>Intermediate Points</u> 2 | <u>Points in India</u> 3 | <u>Points beyond</u> 4 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <u>Route 1</u> | | | |
| Ghana | Lagos | Bombay | To be agreed at a |
| | Cairo | or | later date. |
| | Beirut | Calcutta | |
| | Karachi | (see Note 1) | |
| | Damascus | | |
| <u>Route 2</u> | | | |
| Ghana | Lagos | Bombay | To be agreed at a |
| | Nairobi | or | later date. |
| | Addis Ababa | Calcutta | |
| | Aden | (see Note 1) | |
| | Khartoum | | |

Note 1: The designated airline of Ghana may opt to serve either Bombay or Calcutta before commencement of operations provided only one point in India is served on any route at any given point of time.

Note 2: Points specified in Column 2 on one route may be served in any order and may, if desired, be also served as points beyond in column 4 on the other route.

Note 3: No traffic rights to be exercised between Bombay and Karachi.

SECTION II

The airline designated by the Government of India shall be entitled to operate air services in both directions on the routes specified in this section and to land for traffic purposes in the territory of Ghana at the points specified therein.

| <u>Points of Departure</u> 1 | <u>Intermediate Points</u> 2 | <u>Points in Ghana</u> 3 | <u>Points beyond</u> 4 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <u>Route 1</u> | | | |
| India | Aden Addis Ababa Nairobi Entebbe Lagos | Accra | To be agreed at a later date. |
| <u>Route 2</u> | | | |
| India | Cairo or Beirut Tripoli Lagos | Accra | To be agreed at a later date. |

Note 1: Points specified in Column 2 on one route may be served in any order and may, if desired, be also served as points in column 4 on the other route.

Note 2: No Traffic rights to be exercised between Accra and Lagos.